न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/38/2025	2025/220	03.06.2025	29.07.2025

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 हाल निवासी 114 आदर्श कॉलोनी दाउदपुर अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. रामअवतार पुत्र स्व0 रघुवर दयाल (मृतक)
1/1 राधा पत्नि रामअवतार ब्राहमण
1/2 कुलदीप पुत्र रामअवतार ब्राहमण
1/3 रिंकू पुत्री रामअवतार ब्राहमण
2. श्रीबाबू पुत्र स्व0 रघुवर दयाल (मृतक)
2/1 सीतादेवी पत्नि श्रीबाबू ब्राहमण
2/2 देवेन्द्र पुत्र श्रीबाबू ब्राहमण
2/3 पवन पुत्र श्रीबाबू ब्राहमण
3. शिवचरण पुत्र स्व0 रघुवर दयाल
4. सतीश पुत्र स्व0 रघुवर दयाल
कौम ब्राहमण निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
5. नायब तहसीलदार मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
6. महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री स्व0 घासीराम, निवासी मालाखेडा हाल निवासी बांदीकुई
7. गंगा शर्मा पुत्री घासीराम शर्मा पत्नि देवेन्द्र शर्मा निवासी मालाखेडा

—रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार मालाखेडा इंतकाल संख्या 866 दिनांक 24.06.1981 तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

उपस्थितः—
1. श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रं मोहन शर्मा —वकील रैस्पोडेन्टस 1 लगायत 4
3. श्री सोहन लाल शर्मा —वकील रैस्पोडेन्टस 6 लगायत 7

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब—तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 24.06.1981 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 866 उप—तहसील मालाखेडा, हाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर 0स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नायब तहसीलदार मालाखेडा (अलवर) की आज्ञा के खिलाफ यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गई हैं। आलोच्य आदेश राजस्व अभियान कैम्प मालाखेडा में अपीलाण्ट की गैरजानकारी व गैरमौजूदगी में अपीलाण्ट को बिना सूचित किए व बिना सुने पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी जिस कारण से समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी जिसमें अपीलाण्ट की कोई लापरवाही नहीं रही है। अब राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आदि की नकल की आवश्यकता पडने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 25.06.2016 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलाण्ट को बताया कि तुम्हारे नाम तो इंतकाल ही दर्ज नही हुआ है और आराजी का इंतकाल विक्रेता रघुवर दयाल के वारिसों के नाम स्वीकार हो गया है जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त कर तथा वकील साहब से सलाह मशवरा कर अपील के खर्चे का इंताजम कर तारीख जानकारी से यह अपील बिना देरी के अन्दर अवधि पेश है, अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण हुई है जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में गुजर दिए जाने योग्य है जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 मयाद कानून अलग से पेश है।

इंतकालाधीन आराजी का अपीलाण्ट जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बोनाफाईड परचेजर तथा काबिज काश्तकार है। लेकिन कार्यवाही नामान्तकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। आलोच्य नामान्तकरण आदेश से अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित होते है, इंतकालाधीन आराजी में अपीलाण्ट के हित निहित है इसलिए अपीलाण्ट को अपील करना जरूरी हुआ है जिसकी इजाजत प्रदान की जाना न्यायहित में जरूरी है जिस हेतु दफा 96 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा कस्बा मालाखेडा सब तहसील मालाखेडा हाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0 में स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 0.77 है0 बनाए गए है। उक्त आराजी पूर्व में रैस्पाडैण्ट संख्या 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल की कब्जे काश्त खातेदारी की थी जिससे उक्त आराजी अपीलाण्ट ने प्रतिफल अदा कर व मौके पर कब्जा प्राप्त कर जर्ये बयनामा दिनांक 10.05.1974 खरीद कर ली लेकिन अपीलाण्ट के नाम इंतकाल नहीं चढाया गया जिससे आराजी रघुवर दयाल के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में रही जिसकी मृत्यु के बाद गलत व बेजा तौर पर आलोच्य आदेश पारित कर उसके वारिसान के नाम इंतकाल स्वीकार किया गया है कि जिस इंतकाल आदेश दिनांक 24.06.81 से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो कि निम्न आधारों पर स्वीकार होने तथा आलोच्य नामान्तकरण आदेश अपास्त होने योग्य हैं। आलोच्य आदेश विधि व नियम व प्रक्रिया के विरूद्ध कब्जे व मौके के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है।

इंतकालाधीन आराजी को रैस्पाडैण्ट संख्या 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल खातेदार प्रतिफल प्राप्त कर व कब्जा प्रदत्त कर जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा अपीलाण्ट को विक्रय कर चुके थे। ऐसी अवस्था में रघुवर दयाल का अथवा उसके वारिसो को इंतकालाधीन आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा। ऐसी अवस्था में रघुवर दयाल विक्रेता के वारिसो के नाम जो इंतकाल स्वीकार किया गया है वह गलत स्वीकार किया गया है।

नामान्तकरण आदेश राजस्व अभियान कैम्प मालाखेडा में पारित किया गया है। आलोच्य नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार साहब ने ना तो कब्जे व मौके की कोई रिपोर्ट तलब की ना ही कब्जा व मौके का निरीक्षण किया गया ना ही रघुवर दयाल के वारिसों का मौके पर कोई कब्जा था। लेकिन नायब तहसीलदार साहब ने गौर नहीं किया तथा आलोच्य नामान्तकरण आदेश कब्जे व मौके के खिलाफ पारित किया है।

आलोच्य नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार साहब ने क्रेता काबिज काश्तकार अपीलाण्ट को सूचित नहीं किया ना सुनवाई का अवसर दिया। बल्कि आनन फानन में राजस्व अभियान कैम्प में नामान्तकरण स्वीकार कर लिया, जो कि विधि विरूद्ध व नियम व प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

इंतकालाधीन आराजी से रघुवर दयाल के वारिसो रैस्पाडैण्ट संख्या 01 लगायत 04 का कोई सरोकार नहीं है। रघुवर दयाल प्रतिफल प्राप्त कर व मौके पर कब्जा प्रदत्त कर इंतकालाधीन आराजी अपीलाण्ट को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर चुका है। अपीलाण्ट इंतकालाधीन आराजी का बोनाफाईड परचेजर तथा वक्त खरीद से काबिज काश्तकार है तथा आलोच्य नामान्तकरण आदेश से अपीलाण्ट के हित व अधिकारों पर कुठारघात होता है। ऐसी अवस्था में न्यायाहित में आलोच्य नामान्तकरण आदेश अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.06.81 नायब तहसीलदार मालाखेडा बाबत् नामान्तकरण संख्या 866 अपास्त फरमाए जाने

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

तथा अपीलाण्ट के हक में हुए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.05.74 के आधार पर अपीलाण्ट के हक में नामान्तकरण बय दर्ज व स्वीकार किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

न्यायालय में बार-बार आवाज दिलवाई जाने पर भी रैस्पौ0 अधिवक्ता 01 लगायत 04 अनुपस्थित। विद्वान अधिवक्ता रैस्पौ0 संख्या 06 लगायत 07 के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 866 आराजी खसरा नम्बर साबिक 129 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा का इंतकाल मृतक रघुवर दयाल के नाम दर्ज किया गया हैं। जो इंतकाल बिना रिकॉर्ड व मौके की जाँच किये गये दर्ज किया गया हैं। उपरोक्त आराजी काफी लम्बे समय से रघुवर दयाल का 1/2 का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था एवं धारी पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहमण 1/2 का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। आज तक भी धारी का नाम बदस्तूर राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए था। किन्तु मृतक रघुवर दयाल द्वारा उक्त समस्त आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा का बयनामा गलत तरीके से अपीलाण्ट गिर्राज प्रसाद के नाम करा दिया गया। जो बयनामा अपने आप में ही शून्य हैं तथा उक्त बयनामा के संबंध में राजस्व न्यायालय मालाखेडा में वाद विचाराधीन हैं। रैस्पौ0 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल ने विवादित आराजी का सम्पूर्ण भाग जर्ये बयनामा दिनांक 10.05.74 को तहरीर किया गया। जबकि रघुवर दयाल को अपना हिस्सा 1/2 ही बेचने का अधिकार था। प्रथम दृष्टया यह बयनामा नल एण्ड वोईड मिन प्रार्थी के हको के विरूद्ध होने से अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का ससम्मान अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट को तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि अपीलाण्ट ने रैस्पौ0 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विवादित आराजी क्रय की गई हैं। इंतकालाधीन आराजी से रघुवर दयाल के वारिसान का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा हैं। आलोच्य नामान्तकरण से अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित होते है। उक्त इंतकालाधीन आराजी में अपीलाण्ट के हित निहित हैं। इसलिए अपीलाण्ट को न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती हैं एवं इसके बाद प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.1981 के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 05.07.2016 को अपील पेश की गई। अपीलाण्ट को दिनांक 25.06.2016 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। जानकारी होने की दिनांक से नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी व मयाद का मुजरा दिये जोने योग्य हैं। अपीलाण्ट के द्वारा अपील लगभग 35 वर्ष बाद न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ हैं। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.1981 नामान्तकरण संख्या 866 दर्ज व तस्दीक किया गया है। विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी अपीलाण्ट द्वारा जर्ये बयनामा दिनांक 10.05.1974 के द्वारा रैस्पौ0 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल से क्रय की गई हैं। जिसका नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं किया जाकर दिनांक 24.06.1981 को मृतक रघुवर दयाल के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पौ0 01 लगायत 04 के पिता रघुवर दयाल द्वारा विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 129 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 0.77 है0 अज किस्म बारानी का अपीलाण्ट के पक्ष में बयनामा दिनांक 10.05.1974 को तस्दीक किया

जिला कलक्टर

गया हैं। वक्त बयनामा मृतक रघुवर दयाल के नाम विवादित आराजी में 1/2 हिस्सो का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था एवं घासी पुत्र रघुनाथ ब्राह्मण 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड था। तो मृतक रघुवर दयाल को विवादित आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को क्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट के द्वारा कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं कराया गया। लगभग 7 वर्ष बाद रघुवर दयाल की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत नामान्तकरण दिनांक 24.06.1981 को रघुवर दयाल के वारिसान के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया हैं। अपीलाण्ट के द्वारा तथाकथित बयनामा के आधार पर अपने हक हकूक तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में वाद विचाराधीन होना बताया गया हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.1981 इंतकाल संख्या 866 मृतक रघुवर दयाल के वारिसान के नाम उचित दर्ज व तस्दीक किया गया हैं। जिसमें न्यायालय के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अपील अपीलाण्ट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 24.06.1981 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)